

प्रेस नोट थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 08.08.2025

थाना काँट पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकथाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना काँट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.08.2025 को थाना काँट पर वादी की लिखित सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1. चन्द्रसेन पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम रताहरा थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर एवं 01 अज्ञात द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाना तथा जबरन दो दिन तक कमरे में रखने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 362/25 धारा 87/137(2)/127(2) बीएनएस पंजीकृत कराया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन एकत्र किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 08.08.2025 को थाना काँट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्रसेन पुत्र महेन्द्र उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रताहरा थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर को ग्राम रावतपुर के नकासा बाजार को जाने वाले कच्चे रास्ते के पास से समय 01.10 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

चन्द्रसेन पुत्र महेन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम रताहरा थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 362/25 धारा 137(2)/87/127(2)/65(1) बीएनएस व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट चालानी थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर

अपराधित इतिहास अभियुक्त -

मु0अ0सं0 362/25 धारा 137(2)/87/127(2)/65(1) बीएनएस व 5(ठ)/6 पाक्सो एक्ट चालानी थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

उ0नि0 अरविन्द कुमार कनौजिया

हे0का0 147 अशोक भदौरिया